

पूर्व मध्य रेल
EAST CENTRAL RAILWAY

कार्यालय
महाप्रबंधक (का.)
हाजीपुर

ई.ऑफिस पत्र सं. ECR-HQOPERS(Rule)/12/2021 (133771)

दिनांक— As signed

- सभी PHOD/CHOD / पूमरे / हाजीपुर ।
- CAO (Con.) / उत्तर एवं दक्षिण / पटना ।
- DRM / पूमरे / दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर ।
- CWM / पीडी / डीडीयू, यांत्रिक कारखाना / समस्तीपुर एवं हरनौत ।
- Sr.DPO / पूमरे / दानापुर डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर ।
- उप महाप्रबंधक / विधि / पटना ।

विषय : सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को उपस्थिति पंजिका में अपना उपस्थिति दर्ज करने एवं रिक्भरी ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउएंस के संबंध में।

- संदर्भ : 1. महाप्रबंधक (सतर्कता) / पूमरे / हाजीपुर का पत्र सं. ECR/Vig/System Improvement/50/2021, दिनांक—23.06.2021
2. महाप्रबंधक (सतर्कता) / पूमरे / हाजीपुर का पत्र सं. ECR/Vig/V-2/NG/DDU/20200901073/PC/RR/03, दिनांक—24.06.2021
3. इस कार्यालय के पत्र E/90/O/ECR/HJP (e.office No.22336) दिनांक—02.08.2021

विषयांकित मामलों पर महाप्रबंधक (सतर्कता) / पूमरे / हाजीपुर के संदर्भित पत्र द्वारा आवश्यक दिशा—निर्देश प्रदान किये गए हैं।

विषयगत मामलों संदर्भित पत्र—3 द्वारा परिपत्रित किया गया है। किन्तु ऐसा संज्ञान में आया है कि विषयोक्त निर्देशों का अनुपालन संबंधित कार्यालयों द्वारा नहीं किया जा रहा है।

अतः पुनः अनुरोध है कि संदर्भित पत्र में उल्लेखित दिशा—निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

सुलभ संदर्भ हेतु महाप्रबंधक (सतर्कता) / पूमरे / हाजीपुर के संदर्भित पत्र की प्रति संलग्न है।

संलग्नक : यथोपरि। (03 पेज)

Signed by
Prakash Kumar Singh
Date: 12-08-2025 12:22:41

सकाधि / ई.एस.एम.
कृते महाप्रबंधक(का0) / हाजीपुर

प्रतिलिपि /— निम्नलिखित को सूचनार्थ, एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित—

1. प्रमुकाधि के सचिव— प्रमुकाधि महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. मुकाधि / प्र० के निजी सचिव— II, मुकाधि / प्र० महोदय के सादर सूचनार्थ।
3. महाप्रबंधक (सतर्कता) / पूमरे / हाजीपुर।
4. सकाधि / एम.एण्ड.ई / समन्वय / बिल / पूमरे / हाजीपुर।
5. मुकार्याधी / ई.एस.एम. एवं संबंधित मुकार्याधी / कार्याधी / संबंधित डीलर / पूमरे / हाजीपुर।

पूर्व मध्य रेल
EAST CENTRAL RAILWAY



कार्यालय
महाप्रबंधक(का)
हाजीपुर

No. E/90/O/ECR/HJP (e.Office No-22336)

1. CAO (Con.)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD/पूमरे/हाजीपुर।
3. DRM/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/पीडी/डीडीयू, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर एवं सीआरडब्लु/हरनौत।
7. Sr.DPO/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
9. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूमरे/हाजीपुर।

विषय :- सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को उपस्थिति पंजिका में अपना उपस्थिति दर्ज करने एवं रिक्वरी ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस के संबंध में।

संदर्भ :-1. महाप्रबंधक (सतर्कता), पूमरे, हाजीपुर का पत्रांक—ECR/Vig/System Improvement/50/2021, dated- 23.06.2021

2. महाप्रबंधक (सतर्कता), पूमरे, हाजीपुर का पत्रांक—ECR/Vig/V-2/NG/DDU/20200901073/PC/RR/03, dated- 24.06.2021

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्रों की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letters on the subject matter is being forwarded herewith for information, guidance and needful onward action please.

संलग्नक: यथोपरि।

DA: As above.

Signed by Saurabh Sawarn

Date: 02-08-2021 11:49:06

Reason: Approved

(सौरभ सावर्ण)

वकाधि/ई.एस.एम.

कृते महाप्रबंधक (का0)/हाजीपुर

एसआईएल रा 06/2021

	पूर्व मध्य रेल	कार्यालय महाप्रबंधक / सर्तकता हाजीपुर-844101 DI 23 06.2021
पत्रांक— ECR/Vig/Syc.improvement/50/2021		

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

विषय—सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को उपस्थिति पंजिका में अपना उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में।

सर्तकता विभाग द्वारा एक मंडल में किए गए निवारक जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएँ संज्ञान में आयी हैं:-

- (1) विभिन्न ईकाई में कार्यरत कुछ अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा उपस्थित पंजिका में उपस्थिति दर्ज न करवाकर इसके स्थान पर मस्टर रोल में पी-पी दर्ज किया जाता है।
- (2) एक मामले में पाया गया कि दानापुर मंडल के एक स्टेशन पर सिगनल विभाग के कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पंजिका ही नहीं थी जिसके कारण माह के 06 तारीख से 21 तारीख तक संबंधित कर्मचारियों द्वारा उपस्थिति नहीं बनायी गयी। इसे रोकने की जिम्मेवारी संबंधित विभाग के पर्यवेक्षक के साथ साथ मुख्य कर्मचारी कल्याण निरीक्षक की भी थी। लेकिन इसे मुख्य कर्मचारी कल्याण निरीक्षक द्वारा अपने बीट निरीक्षण के कम में इसे उजागर नहीं किया जा सका।
- (3) दानापुर मंडल से ही एक स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारी दो उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करते थे, जिसे मुख्य कर्मचारी कल्याण निरीक्षक द्वारा भी अपने बीट निरीक्षण के दौरान उजागर नहीं किया गया।

उपरोक्त के आलोक में यह सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व मध्य रेल के सभी कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारी कार्यालय में उपस्थिति पंजिका में अपनी उपस्थिति दर्ज करें। समय-समय पर संबंधित बीट के कर्मचारी कल्याण निरीक्षक द्वारा अपने बीट निरीक्षण के कम में इसकी जाँच की जाए।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(उज्ज्वल आनंद)

उप मुख्य सर्तकता अधिकारी / लेखा व कार्मिक
महाप्रबंधक / सर्तकता / पूमरे / हाजीपुर

Signed by Ujjawal Anand

Date: 23-06-2021 14:17:39

	EAST CENTRAL RAILWAY	Office of the General Manager(Vig) Hajipur (Bihar) Pin- 844101
No. ECR/Vig/V-2/NG/DDU/20200901073/PC/RR/03		Dated: 24.06.2021

General Manager (P)
East Central Railway
Hajipur

Sub: Recovery of Transport Allowance.

It is found during a preventive check in a unit of ECR that Transport Allowance has been granted in f/o some official who did not attend office any day in a calander month during lockdown.

As per existing rule regarding admissibility of Transport allowance issued by Railway Board, it is mentioned that any employee who could not attend office in a whole calendar month are not eligible to draw Transport allowance for that month as these employees had not incurred any expenditure for commuting office. (RBE No.104/2020)

Recoveries of Transport Allowance may please be ensured in all similar cases where personnel did not attend office any day in a calander month within the jurisdiction of East Central Railway.

Signed by Ujjawal Anand
Date: 05-07-2021 13:52:59
Reason: Approved

(Ujjawal Anand)
Dy. CVO(A&P)
For GM/Vigilance